HRA AN USIUS The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3 —उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308] No. 308] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 11, 2006/आषाढ़ 20, 1928 NEW DELHI, TUESDAY, JULY 11, 2006/ASADHA 20, 1928

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुदा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 9 जून, 2006

सं. फ्रेमा 149/2006-आर बी

विदेशी मुदा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (द्वितीय संशोधन)

विनियमावली. 2006

सा.का.नि. 413(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अपनी अधिसूचना सं. फैमा 20/2000—आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात,

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)
 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2006 कहलाएंगे।
- (ii) ये नवंबर 8, 2005 से लागू होंगे*।

2. विनियमावली में संशोधन :--

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी में) में,

- (i) विनियम 2 में, उप-विनियम (i) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात्
 - (iक) "परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी" का तात्पर्य सेक्युरिटाइजे्शन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनान्सियल एसेट्स एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सेक्युरिटी इंट्रैस्ट एक्ट, 2002 की धारा 3 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत कंपनी है।
- (ii) विनियम 5 में, उप-विनियम (2) में, परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्, बशर्ते आगे कि विदेशी संस्थागत निवेशक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की चुकता ईक्विटी पूंजी में निवेश नहीं करेंगे।
- (iii) अनुसूची 1 में, संलग्नक अ में, भाग अ में, मद 11 के बाद निम्नलिखित मद जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-"12. परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां"
- (iv) अनुसूची 5 में, पैरा (1) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--
 - 1. "एक पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक प्रत्यावर्तन आधार पर दिनांकित सरकारी प्रतिभृतियां/ खजाना बिल/किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बांड और घरेलू म्युच्युअल फंडों की इकाइयां और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी सेक्युरिटी रिसीट ऐसी सेक्युरिटी के जारीकर्ता से सीधे अथवा भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से खरीद सकता है:—

बशर्ते

 (i) विदेशी संस्थागत निवेशक ऐसे कुल निवेश के आबंटन को ईविवटी और ऋण लिखतों (दिनांकित

2114 GI/2006

- सरकारी प्रतिभृतियों और भारतीय पूंजी बाजार में खजाना बिलों सहित) के बीच 70 : 30 के अनुपात में सीमित रखेगा, और
- (ii) यदि विदेशी संस्थागत निवेशक खजाना बिलों, किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी अपरिवर्तनीय डिबेंचरों/बांडों सहित दिनांकित सरकारी प्रतिभृतियों में 100% तक निवेश करना चाहता है तो वह 100% ऋण निधि बनाएगा और ऐसी निधि को सेबी के पास पंजीकृत करवाएगा।
- (iii) सेक्युरिटी रिसीट स्कीम के प्रत्येकशृंखला में एकल विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा कुल धारिता निर्गम के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों की कुल धारिता मिलकर परिसंपत्ति पुर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी सेक्युरिटी रिसीट स्कीम की प्रत्येक शृंखला के चुकता मूल्य के 49% से अधिक नहीं होनी चाहिए।"

[सं. 1/23/ईएम/2000-खण्ड IV] एम. सेबेस्टियन, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :

- (i) *यह प्रमाणित किया जाता है कि इन विनियमों के पूर्वव्यापी , प्रभाव से किसी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (ii) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली 2000, (मई 3, 2000 की अधिसूचना सं फेमा 20/2000-आरबी) सरफारी राजपत्र में दिनांक मई 8, 2000 के सा.का.नि. सं. 406(अ) में भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए हैं:-

सं. सा.का.नि. 158(अ) दिनांक 02-03-2001

सं. सा.का.नि. 175(अ) दिनांक 13-03-2001

सं. सा.का.नि. 182(अ) दितांक 14-03-2001

सं. सा.का.नि. 4(अ) दिनांक 02-01-2002

सं. सा.का.नि. 574(अ) दिनांक 19-08-2002

सं. सा.का.नि. 223(अ) दिनांक 18-03-2003

सं.सा.का,नि. 225(अ) दिनांक 18-03-2003

सं. सा.का.नि. 558(अ) दिनांक 22-07-2003

सं. सा.का.नि. 835(अ) दिनांक 23-10-2003

सं. सा.का.नि. 899(अ) दिनांक 22-11-2003

सं सा.का.नि. 12(अ) दिनांक 07-01-2004

सं. सा.का.नि. 278(अ) दिनांक 23-04-2004

सं. सा.का.नि. 454(अ) दिनांक 16-07-2004

सं. सा.का.नि. 625(अ) दिनांक 21-09-2004

सं. सा.का.नि. 799(अ) दिनांक 08-12-2004

सं. सा.का.नि. 201(अ) दिनांक 01-04-2005

सं. सा.का.नि. 202(अ) दिनांक 01-04-2005

सं. सा.का.नि. 504(अ) दिनांक 25-07-2005

सं. सा.का.नि. 505(अ) दिनांक 25-07-2005 सं. सा.का.नि. 513(अ) दिनांक 29-07-2005 सं. सा.का.नि. 738(अ) दिनांक 22-12-2005 सं. सा.का.नि. 29(अ) दिनांक 19-01-2006

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(RESERVE BANK OF INDIA)
(Foreign Exchange Department)
(Central Office)
NOTIFICATION

Mumbai, the 9th June, 2006 No. FEMA 149/2006-RB

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a person Resident outside India) (Second Amendment) Regulations, 2006

G.S.R. 413(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000) namely:

- 1. Short Title and Commencement :--
- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Second Amendment) Regulations, 2006.
- (ii) They shall come into force with effect from 8th November, 2005*
- 2. Amendment of the Regulations:—In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000).
 - (i) "in regulation 2, after sub-regulation (i), 1 the following sub-regulation shall be inserted, namely:—
 - (ia) 'Asset Reconstruction Company' (ARC) means a company registered with the Reserve Bank of India under Section 3 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act).
 - (ii) in regulation 5, in sub-regulation (2), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely,
 - "Provided further that Foreign Institutional Investors shall not invest in the paid up equity capital of Asset Reconstruction Companies".

- (iii) in schedule 1, in Annexure A, in Part A after item 11, the following item shall be inserted, namely:
 - "12. Asset Reconstruction Companies".
- (iv) in schedule 5, paragraph (1) shall be substituted by the following, namely,
 - 1. "A registered Foreign Institutional Investor may purchase, on repatriation basis, dated Government Securities/treasury bills, nonconvertible debentures/bonds issued by an Indian company, units of domestic mutual funds and Security Receipts issued by Asset Reconstruction Companies either directly from the issuer of such securities or through a registered stock broker on a recognized stock exchange in India:

Provided that

- (i) The FII shall restrict allocation of its total investment between equity and debt instruments (including dated Government Securities and Treasury Bills in the Indian Capital Market) in the ratio of 70: 30, and
- (ii) If the FII desires to invest up to 100% in dated Government Securities including Treasury Bills, non-convertible debentures/bonds issued by an Indian company, it shall form a 100% debt fund and get such fund registered with SEBI.
- (iii) The total holding by a single FII in each tranche of scheme of Security Receipts shall not exceed 10% of the issue and the total holdings of all FIIs put together shall not exceed 49% of the paid up value of each tranche of scheme of Security receipts issued by the Asset Reconstruction Companies".

[No. 1/23/EM/2000-Vol. IV]

M. SEBASTIAN, Chief General Manager

Foot Notes :--

- (i) *Certified that no person will be adversely affected by the retrospective effect given to these regulations.
- (ii) Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations 2000, (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000) was published in the Official Gazette vide G.S.R.No. 406(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under:

No. G.S.R. 158(E) dated 02-03-2001

No. G.S.R. 175(E) dated 13-03-2001

No. G.S.R. 182(E) dated 14-03-2001

No. G.S.R. 4(E) dated 02-01-2002

No. G.S.R. 574(E) dated 19-08-2002

No. G.S.R. 223(E) dated 18-03-2002

No. G.S.R. 225(E) dated 18-03-2002

No. G.S.R. 558(E) dated 22-07-2003

No. G.S.R. 835(E) dated 23-10-2003

No. G.S.R. 899(E) dated 22-11-2003

No. G.S.R. 12(E) dated 07-01-2004

No. G.S.R. 278(E) dated 23-04-2004

No. G.S.R. 454(E) dated 16-07-2003

No. G.S.R. 625(E) dated 21-09-2004

No. G.S.R. 799(E) dated 08-12-2004

No. G.S.R. 201(E) dated 01-04-2005

No. G.S.R. 202(E) dated 01-04-2005

No. G.S.R. 504(E) dated 25-07-2005

No. G.S.R. 505(E) dated 25-07-2005 No. G.S.R. 513(E) dated 29-07-2005

No. G.S.R. 738(E) dated 22-12-2005

No. G.S.R. 29(E) dated 19-01-2006